



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:— 2022 / 319

दर्ज तिथि:—21.09.2022

1. रुगनाथराम पुत्र सुजाराम
2. दुर्गाराम पुत्र सुजाराम
3. लाधूराम पुत्र सुजाराम
4. सुजाराम पुत्र मिसरी
जाति विश्नोई निवासी बांतो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी-बाड़मेर

बनाम

1. किस्तुराराम पुत्र प्रहलादराम
2. कलाराम पुत्र प्रहलादराम
3. टिकमाराम पुत्र हीराराम
4. भंवरलाल पुत्र हीराराम
5. रमेश पुत्र हीराराम
6. दिनेश चौधरी पुत्र हीराराम
7. कनू देवी पत्नी धीराराम
जाति जाट निवासी बांतो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी-बाड़मेर
8. अमराराम पुत्र वीरा
9. खंगाराराम पुत्र वीरा
10. धना पुत्र वीरा
11. तुलसी पत्नी वीरा
12. हनुमान पुत्र वीरा
जाति विश्नोई निवासी बांतो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी-बाड़मेर

13. शाखा प्रबन्धक एस बी आई (एस बी बी जे) शाखा सिणधरी।

14. श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी-बाड़मेर।

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:— श्री बाबूलाल विश्नोई

प्रतिवादीगण:—श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251ए

राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:—07.07.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 10 की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397/3.3346 है 0 मौजा बांतो की ढाणी, पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादीगण का उक्त आराजी पर पीढीयों से निर्बाध रूप से कब्जा—काश्त चला आ रहा है। वादीगण की कब्जाशुदा आराजी एवं वादीगण की आराजी के पड़ोस में स्थित प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 की आराजी खसरा संख्या 426, 398/2 मौजा बांतो की ढाणी में अवस्थित है। प्रकरण में वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी कार्यवाही सम्पन्न करवाई। जिसमें न्यायालय आदेशानुसार वादीगण की खातेदारी आराजी पर राजस्व टीम द्वारा सीमाज्ञान किया जाकर नेखम स्थापित किये गये। जिस पर चारों ओर माठ बनी हुई है। वर्तमान में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में अपना कब्जा मानकर वादीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।
2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 06 ता 07 के अतिरिक्त समस्त प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 06 ता 07 द्वारा असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पृथक—पृथक खातेदारी आराजी है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण वक्त सेटलमेंट से काबिज काश्त हैं। जिस पर प्रतिवादीगण की माठ बनी हुई है। वादीगण द्वारा रास्ते के विवाद को लेकर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पृथक—पृथक खसरान की नेखमबंदी की जाकर मौक पर सहमति से कब्जे हस्तांतरण किये जा चुके हैं। वर्तमान में प्रतिवादीगण के आवागमन हेतु रास्ता वादीगण की आराजी में से होने के कारण वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के उक्त रास्ते को अवरुद्ध करने की नियत से उक्त वाद प्रस्तुत किया है। जो चलने योग्य नहीं होने से काबिल—ए—खारिज है। तत्पश्चात् तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वादी साक्ष्य में रखी गई। प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम किये गये:—

1. आया वादीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397/3. 3346 है0 मौजा सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी पर विरुद्ध प्रतिवादी वादी के कब्जे काशत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादी

2. आया प्रतिवादी का वादी की खातेदारी आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होने तथा स्वयं की खातेदारी आराजी पर ही काबिज होने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज है।

.....प्रतिवादी

3. अन्य दादरसी

.....उभय-पक्षकारान

3. प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाह साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर वादीगण का साक्ष्य का अवसर बंद किया गया।
4. प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान-ए-बहस अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण की खातेदारी आराजी में दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। दौरान-ए-बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त वाद प्रतिवादीगण के रास्ते को अवरुद्ध करने हेतु पेश किया होने से वाद वादी काबिल-ए-खारिज है।
5. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काशतकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. उक्त राजस्थान काशतकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई

निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।
8. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397/3.3346 है0 मौजा बांतो की ढाणी, पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397/3.3346 है0 मौजा बांतो की ढाणी, पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की

		आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397/3.3346 है0 मौजा बांतो की ढाणी, पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397/3.3346 है0 मौजा बांतो की ढाणी, पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397/3.3346 है0 मौजा बांतो की ढाणी, पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 397/3.3346 है0 मौजा बांतो की ढाणी, पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397/3.3346 है0 मौजा बांतो की ढाणी, पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।

		4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397/3.3346 है0 मौजा बांतो की ढाणी, पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते हैं। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।
--	--	--

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397/3.3346 है0 मौजा बांतो की ढाणी, पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397/3.3346 है0 मौजा बांतो की ढाणी, पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397/3.3346 है0 मौजा बांतो की ढाणी, पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिकी किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 07.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर





न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:— 2022 / 319

दर्ज तिथि:—21.09.2022

1. रुगनाथराम पुत्र सुजाराम

2. दुर्गाराम पुत्र सुजाराम

3. लाधूराम पुत्र सुजाराम

4. सुजाराम पुत्र मिसरी

जाति विश्‍नोई निवासी बांतो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी-बाड़मेर

बनाम

1. किस्तुराराम पुत्र प्रहलादराम

2. कलाराम पुत्र प्रहलादराम

3. टिकमाराम पुत्र हीराराम

4. भंवरलाल पुत्र हीराराम

5. रमेश पुत्र हीराराम

6. दिनेश चौधरी पुत्र हीराराम

7. कनू देवी पत्नी धीराराम

जाति जाट निवासी बांतो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी-बाड़मेर

8. अमराराम पुत्र वीरा

9. खंगाराराम पुत्र वीरा

10. धना पुत्र वीरा

11. तुलसी पत्नी वीरा

12. हनुमान पुत्र वीरा

जाति विश्‍नोई निवासी बांतो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी-बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

13. शाखा प्रबन्धक एस बी आई (एस बी बी जे) शाखा सिणधरी।

14. श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी-बाड़मेर।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:— श्री बाबूलाल विश्‍नोई

प्रतिवादीगण:—श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.-1955

—:पर्चा डिक्री:-

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397/3.3346 है0 मौजा बांतो की ढाणी, पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 07.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाई गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर